

A



मूल्य 20.00 रुपये

नगर निगम, बीकानेर

नं. 4773

आयुक्त,
नगर निगम, बीकानेर
महोदय,

मैं/हम निम्नलिखित विवरणानुसार स्वामित्व की भूमि पर भवन निर्माण/पुनः परिनिर्माण/परिवर्तन/परिवर्द्धन करना चाहता हूँ/चाहते हैं :-

1. प्रार्थी का नाम
पिता का नाम
2. प्रार्थी का पता
(पोस्टल पता)
3. प्रस्तावित भवन निर्माण/पुनः परिनिर्माण/
परिवर्तन/परिवर्द्धन की स्थिति (Location)
4. क्या प्रस्तावित भवन निर्माण स्थल/भवन का
स्वामित्व अधिकार पत्र संलग्न है ? हाँ/नहीं
5. क्या प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु मानचित्र की
6 प्रतियाँ (जिनमें दो क्लोथ माउन्टेड हो) संलग्न है ? हाँ/नहीं
6. क्या प्रस्तावित भवन का मास्टर प्लान में स्वीकृत भू-
उपयोग के विपरीत भवन का निर्माण करना चाहता है यदि हाँ तो प्रमाण-पत्र
तो सक्षम अधिकारी द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के प्रमाण के क्रमांक :
पत्र की प्रति संलग्न है ? व दिनांक
7. क्या सम्बन्धित स्थल जिस पर भवन निर्माण प्रस्तावित
है, के उप-विभाजन (sub-division) यदि हो तो सम्बन्धित यदि हाँ तो स्वीकृति.....
स्वीकृति संलग्न है ? का क्रमांक
व दिनांक.....
8. भूखण्ड का स्वामित्व किस प्रकार प्राप्त हुआ, (1)
का क्रमवार विवरण :- (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

9. भवन अनुज्ञा प्रार्थना-पत्र के साथ आवेदन रसीद संख्या
शुल्क 100/- रुपये जमा करवाये जा चुके हैं। व दिनांक का विवरण

10. क्या मानचित्र में रंग निम्न व्यवस्था के अनुसार भरे गये हैं :-

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|
| 1. प्रस्तावित निर्माण कार्य | लाल | |
| 2. हटाये जाने के लिए प्रस्तावित कार्य | पीला | |
| 3. विद्यमान निर्मित कार्य | नीला | |
| 4. खुला क्षेत्र | रंग नहीं भरा जाना है। | |

11. आवेदन-पत्र के साथ दिया जाने वाला स्थल मानचित्र हॉ/नहीं
ऐसे स्केल में हो सकता है जिसमें स्थिति स्पष्ट हो सके।

12. आवेदन-पत्र के साथ लगाये जाने वाले मानचित्र में लोकेशन हॉ/नहीं
प्लान, साईट प्लान, एलिवेशन, सैक्शन एवं Structure Plan
उस नाप के हों जिसमें स्थिति स्पष्ट हो।

13. क्या बहुमंजिले/विशिष्ट भवनों के लिए मानचित्र में हॉ/नहीं/.....
नगर निगम, बीकानेर (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2007 के लागू नहीं
नियम 13.7 में दी गयी सूचना दर्शित कर दी गयी है।

14. वास्तुकार आर्कीटेक्ट/अभियन्ता को नक्शे पर अनुमोदन हो
चुका है तो आर्कीटेक्ट/अभियन्ता का नाम एवं पता

15. क्या आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र संलग्न कर हॉ/नहीं
दिया गया है ?

16. क्या पंजिकृत वकील द्वारा स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जारी हॉ/नहीं
किया गया है ?

मैं/हम एतद् द्वारा वचन देता हूँ/देते हैं कि नगर निगम, बीकानेर (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम, 2007 के प्रावधानों की पालना करते हुए वर्षा के पानी द्वारा भू-गर्भ जल स्तर बढ़ाना, भवन निर्माण के लिए आवश्यक मानदण्ड, विद्युत सेवाएं, भवन संरचनात्मक सम्बन्धी अन्य आवश्यकताएं आदि प्रावधानों की भी पालना करूंगा/करेंगे।

हस्ताक्षर

दिनांक :-

आवेदक का नाम एवं पता



नगर निगम बीकानेर

—: शपथ पत्र :-

मैं पुत्र श्री जाति
..... निवासी बीकानेर का हूँ जो कि
शपथ—पूर्वक घोशित करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि मौहल्ला बीकानेर में मेरे स्वामित्व की भूमि/भवन सहित भूमि स्थित है, जिसका क्षेत्रफल वर्गफुट है।
2. यह कि उक्त भूमि पर मैं भवन बनाना चाहता/चाहती हूँ अथवा भवन में परिवर्तन/परिवर्द्धन करवाना चाहता/चाहती हूँ।
3. यह कि भूमि/भवन सहित भूमि पर मेरा स्वामित्व है, जो कि विवाद रहित है।
4. यह कि भूमि/भवन सहित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में स्वामित्व के दस्तावेज (Chain of title deed) की श्रृंखला की प्रतियां प्रस्तुत कर दी गयी हैं। अचल सम्पत्ति का स्वामित्व नीलामी द्वारा क्रय/अन्य व्यक्ति द्वारा क्रय/आवंटन द्वारा क्रय/पुराने कब्जे को नियमित/पैतृक सम्पत्ति होने पर एक मात्र उत्तराधिकारी होने से/बंटवारे से प्राप्त हुआ है।
5. यह कि स्वामित्व के दस्तावेज का विवरण क्रमवार निम्न प्रकार से हैं :-
(अ)
(ब)
(स)
(द)
(य)
6. यह कि प्रस्तावित निर्माण स्थल के सम्बन्ध में किसी भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय/रेवन्यू बोर्ड/अन्य अधिकृत अधिकारी के वहां स्वामित्व अथवा अन्य किसी भी कारण से कोई वाद लम्बित नहीं है।
7. यह कि गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई, निर्माण स्वीकृति प्रारम्भतः ही शून्य (Void-ab-initio) मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता के विरुद्ध निगम कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

यह कि मद संख्या 01 से 07 तक दिये गये तथ्य मेरी निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही दिये गये हैं। कुछ भी छिपाया बढ़ाया नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथगृहिता